23|3|21 पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। वाद दर्ज रजिस्टर कर सम्मन जारी किए गए। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 बाद सम्मन तामील भी उप-स्थित नहीं हुए; अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 13 व 14 परोकार राज है जिनके द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया इनका जवाब बंद किया गया है।

प्रकरण से सम्बंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है राजस्व ग्राम महनसर तहसील मलसीसर में जमीन गत खसरा नम्बर 58 तादादी 22 बीघा 17 बिस्वा स्थित है जिसे वादी के दादा नद्दू खाँ पुत्र महनू खाँ जाति कायमखानी निवासी महनसर ने तत्कालीन सहायक कलेक्टर झुन्झुनु के यहां मुकदमा उनवानी नद्दू खाँ बनाम सरकार 65/1957 पेश किया जो उक्त न्यायालय द्वारा दिनांक 06.12.1958 को डिक्री कर नद्दू खाँ के पुत्र अलीम खां एवं कासम खाँ एवं स्त्री पेपी को खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया गया। लेकिन पारित निर्णय एवं डिक्री को क्रियान्वयन नहीं करवाया जा सका। वादी ने पुन: दावा कर निवेदन किया है कि पूर्ववर्ती दावे की रोशनी में वादी नम्बर 1 को 3/4 हक हिस्से तथा वादी नम्बर 2 को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

प्रस्तुत वाद में वाद बिन्दु बनाये नहीं है। वाद को साबित करने के लिए वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 लगायत 20 प्रस्तुत किए हैं

लगातार

हुक्म की तारीख जारी हुक्म

मौखिक साक्ष्यो मे वादी स्वयं ने अपना शपथ पत्र पेश किया है (PW-1)। वकीलवादी ने अपनी बहस मे वाद मे अंकित तथ्यो की पुनरावृती करते हुए बयान किया कि वादगत भूमि जिस बाबत दावा किया गया है उसमे पूर्व मे सक्षम न्यायालय द्वारा डिक्री और निर्णय पारित किया जा चुका है जिसकी प्रमाणित प्रति दस्तावेजो के साथ संलग्न है। वादी ने अपनी बहस मे दावे मे अंकित तथ्यों की ही पुनरावृति की।

वादी वकील की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड व दस्तावेजो का अध्ययन किया गया। वादी स्वयं द्वारा वाद पत्र मे स्वीकृत तथ्य है कि इसी कृषि भूमि का मुतालिक वाद सक्षम राजस्व न्यायालय सहायक कलक्टर झुंझुनू के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसका मुकदमा नम्बर 60/1957 है जो वाद वादीगण के पूर्वजो के पक्ष मे डिक्री और निर्णय पारित किया जा चुका है; जिसकी प्रमाणित प्रति भी न्यायालय मे पेश की है। पूर्ववर्ती वाद मे जो भूमि विवादित थी वोही ये वादीगण भूमि इसी प्रकरण मे भी विवादित है। स्वयं अपने वाद पत्र मे स्वीकृत किया गया है कि वाद उसी भूमि मुतल्लिक है और इन्ही के वारिसानो द्वारा दावा पेश किया गया थी उसी भूमि के बारे मे खातेदारी अधिकारो की घोषणा के लिए वाद लेकर आये है जो सक्षम राजस्व न्यायालय द्वारा पूर्व मे डिक्री एवं निर्णय पारित किया जा चुका है डिक्री के निष्पादन के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई और ना ही तहसीलदार से नामान्तरण

हुक्म की तामील में जारी हुए

दर्ज करवाने की कार्यवाही अमल में लाई गई।
लिमिटेशन एक्ट के आर्टिकल 136 के तहत इजराय की म्याद 12 वर्ष है इजराय भी पेश नहीं गई।

उपरवर्णित तथ्यों के आधार पर यह प्रतीत होता है कि उक्त प्रकरण सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 11 पूर्वन्याय / Res. judicata के अन्तर्गत आता है; जिसके तहत कोई न्यायालय किसी ऐसे वाद विवाद्यक का विचारण नहीं करेगा जिसमें प्रत्यक्षत: और सारत: विवाद्य विषय उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले उन्हीं पक्षकारों के बीच या ऐसे पक्षकारों के बीच के जिनमें व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते है; किसी पूर्ववर्ती वाद में भी ऐसे न्यायालय में प्रत्यक्षत: और सारत: विवाद्य रहा है जो ऐसे पश्चातवर्ती वाद का या उस वाद का जिसमें ऐसा विवाद्यक वाद में उठाया गया है, विचारण करने के लिए सक्षम था और ऐसे न्यायालय द्वारा सुना जा चुका है; अत: यह वाद सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के अन्तर्गत पोषणीय नहीं है।

जब एक बार सक्षम राजस्व न्यायालय में वाद दायर कर डिक्री व निर्णय पारित किया जा चुका है और इस भूमि बाबत पुन: वाद लेकर आये हैं उसमें Same party, Same property, Same cause of action, Same interest, अत: उपरोक्त विधिक स्थिति के आधार पर वादी का वाद पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

न्यायालय उपखण्ड ... मलसीसर

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही ...	नम्बर व ... अहकाम ... हुक्म की तारीख ... जारी हुए
	पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया। 2/3/3/21 उपखण्ड अधिकारी मलसीसर	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर